

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH- NEW DELHI**

OA 418/2021 WITH OA 447/2021

IN THE MATTER OF:

TILAK RAJ ADHANA & ORS.

....APPLICANTS

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH

....RESPONDENTS

NDOH: 15.03.2024

INDEX

S NO	PARTICULARS	PAGE NO
1.	Additional Compliance Affidavit on behalf of the Respondent Ground Water Department	2-7
2.	ANNEXURE R-1: A true copy of order dated 08.02.2024 passed by the Hon'ble NGT, New Delhi.	8-13
3.	ANNEXURE R-2: A true copy of letter no 2877 dated 07.02.2024.	14
4.	ANNEXURE R-3: A true copy of letter no 2878 dated 07.02.2024.	15
5.	ANNEXURE R-4: A true copy of compliance report dated 1 .02.2024.	16-18
6.	ANNEXURE R-5: A true copy of Minutes of the meeting vide letter No. 3028 dated 17.02.2024.	19-26
7.	ANNEXURE R-6: A true copy of letter dated 21.02.2024.	27


 Executive Engineer
 Minor Irrigation Division
 Ghazisbad

8.	ANNEXURE R-7: A true copy of reminder notice no 3066 dated 21.02.2024.	28
9.	ANNEXURE R-8: A true copy of reminder notice no 3067 dated 21.02.2024.	29
10.	ANNEXURE R-9: A true copy of letter no 3155 dated 29.02.2024.	30-33
11.	ANNEXURE R-10: A true copy of letter no 3114 dated 24.02.2024.	34
12.	ANNEXURE R-11: A true copy of letter no 3115 dated 24.02.2024.	35
13.	ANNEXURE R-12: A true copy of letter dated 26.02.2024 issued by Modi Sugar Mill.	36-38
14.	PROOF OF SERVICE	39


 EXECUTIVE ENGINEER
 Minor Irrigation Division
 Ghaziabad
 THROUGH


VIPIN TYAGI (District Govt. Counsel - Civil GZB) &
VEDANSH ANAND

Off: Chamber No. 304, District Court
Compound Rajnagar Ghaziabad UP- 201002

Email: vedansh.anand@outlook.com

MN : 8076802450,9350105180

New Delhi

Dated: 13.03.2024

2



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH- NEW DELHI

OA 418/2021 WITH OA 447/2021

IN THE MATTER OF :

TILAK RAJ ADHANA & ORS.

....APPLICANTS

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH

....RESPONDENTS

ADDITIONAL COMPLIANCE AFFIDAVIT ON BEHALF OF
RESPONDENT GROUND WATER DEPARTMENT

I,.....*Hariom*.....,S/o.....*Shri mahendra singh*.....aged about *47* years
working as *Executive Engineer*.....at.....*Ghaziabad*....., do
hereby solemnly state and affirm as under:


1. That I am familiar with the facts and circumstances of the case having dealt with it in my official capacity and am competent and authorized to swear this affidavit.

That the answering respondent is the Director of Ground Water Department, Govt. of UP. Therefore the reply in the paragraphs would be limited to Respondent Ground Water Department only.

नाजिस (सुडकोकेट)
रजि० नं०-UP08/20/16
चेयरमैन आँध कविरनर
राजनगर गाजियाबाद (उ०प्र०)

Executive Engineer
Minor Irrigation Division
Ghaziabad

3. That I have read and understood the contents of writ petition and the reply to it is set as below:-



SUBMISSIONS:

4. That the hon'ble NGT vide its order dated 08.02.2024 has ordered that the additional report to be filed by the Ground Water Department -

*2. Learned Counsel for the Ground Water Department,
Uttar Pradesh seeks time to file further report in terms of
order dated 01.11.2023.*

5. That in compliance with the order dated 08.02.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal (NGT), New Delhi in above mentioned case. That the District Magistrate/Chairman, District Groundwater Management Council, Ghaziabad vide letters No. 2877 and 2878 dated 07.02.2024 and 07.02.2024 issued notices for compliance of the conditions laid down (registration of borewells, change of location of borewells without prior permission, piezometer, pre-monsoon and post-monsoon groundwater quality report, annual


Executive Engineer
Minor Irrigation Division
Ghaziabad

प्रमाणित

water audit, installation of rooftop rainwater harvesting system and renovation of adopted ponds).

A true copy of order dated 08.02.2024 passed by the Hon'ble NGT, New Delhi is attached herewith as **Annexure R-1**.

A true copy of letter no 2877 dated 07.02.2024 is attached herewith as **Annexure R-2**.

A true copy of letter no 2878 dated 07.02.2024 is attached herewith as **Annexure R-3**.

6. That further in compliance to the abovementioned letters, Modi Sugar Mills submitted a compliance report vide their letter dated 18.02.2024.

A true copy of compliance report dated 18.02.2024 is attached herewith as **Annexure R-4**.

7. That in the meeting of District Groundwater Management Council, Ghaziabad held on 09.02.2024, it was decided to seal 02 illegal borewells found at Modi Sugar Mills, Modi Nagar without prior permission and a fine of Rs. 5.00 lakhs was also imposed.

Executive Engineer
Minor Irrigation Division
Ghaziabad

ऑथ-कमिश्नर

A true copy of Minutes of the meeting vide letter No. 3028 dated 17.02.2024 attached herewith as **Annexure R-5**.

8. That the office of District Magistrate, Ghaziabad vide letter No. 3068/L. Sin/No.Gra.Yo.Portal/2023-24 dated 21.02.2024 issued a notice of fine of Rs. 5.00 lakhs.


A true copy of letter dated 21.02.2024 is attached herewith as Annexure R-6.

9. That the reminder notices No. 3066 dated 21.02.2024 and 3067 dated 21.02.2024 were issued in the matter of OA No. 418/2021 and OA No. 447/2021 pending before the Hon'ble National Green Tribunal (NGT), New Delhi.

A true copy of reminder notice no 3066 dated 21.02.2024 is attached herewith as **Annexure R-7**.

A true copy of reminder notice no 3067 dated 21.02.2024 is attached herewith as **Annexure R-8**.


Executive Engineer
Minor Irrigation Division
Ghaziabad



10. That on 23.02.2024, an inspection was conducted by the Task Force regarding non-compliance of the conditions laid down in the NOC issued to Modi Sugar Mills, the inspection report of which was issued by the office of Executive Engineer (L.Sin.)/Nodal Groundwater Portal, Ghaziabad vide letter No. 3155 dated 29.02.2024.

A true copy of letter no 3155 dated 29.02.2024 is attached herewith as **Annexure R-9.**

11. The office of Executive Engineer (L. Sin.)/Nodal Groundwater Portal, Ghaziabad vide letters No. 3114 dated 24.02.2024 and 3115/L. Sin./Distt. Gr. Wa. Mgmt. Council/2023-24 dated 24.02.2024 informed about the sealing of illegal borewells on 23.02.2024 in the presence of the Magistrate nominated by the District Magistrate, Ghaziabad.

A true copy of letter no 3114 dated 24.02.2024 is attached herewith as **Annexure R-10.**

A true copy of letter no 3115 dated 24.02.2024 is attached herewith as **Annexure R-11.**

Executive Engineer
Minor Irrigation Division
Ghaziabad

12. That Modi Sugar Mills vide letter dated 26.02.2024 submitted an affidavit that the work of renovation of the ponds adopted by them for ground water recharge will be started from 10.03.2024.

A true copy of letter dated 26.02.2024 issued by Modi Sugar Mill is attached herewith as **Annexure R-12.**

13. PRAYER

In the light of the foregoing, aforesaid respondent has attempted to comply with the order of the Hon'ble Tribunal date 08.02.2024 in true spirit. The hon'ble NGT may pass any order in the interest of justice .


RESPONDENT - GROUND WATER DEPARTMENT
RESPONDENT Engineer
Minor Irrigation Division
Ghaziabad
THROUGH


VIPIN TYAGI (District Govt. Counsel - Civil GZB) &
VEDANSH ANAND

विपिन कुमार त्यागी
जिला शासकीय अधिवक्ता (वीकसी)
गजियाबाद-गजियाबाद
Off: Chamber No. 304, District Court
Compound Rajnagar Ghaziabad UP- 201002
Email: vedansh.anand@outlook.com

MN : 8076802450,9350105180

New Delhi

Date: ____ .02.2024



VERIFICATION

I, _____, son of _____, aged _____ years, presently serving as _____ do hereby verify at New Delhi on __ day of _____ 2024. That the contenting the above reply contained in Para ___ to ___ are true to the best of my knowledge as derived from the official record, reply to ground Para ___ to ___ are based on legal advice received and noting material has been conceded *thereon*.

ऑफिस-उपनिर्देशक
 शी/श्रीमती _____
 शी _____
 मेरे समक्ष शपथ समझ
 शपथकर्ता के शपथ-पत्र की अर्तवस्तु सत्य है
 रजिस्ट्रार नं० _____
 11/3/24
 328
 हस्ताक्षर
 ऑफिस-उपनिर्देशक
 गाजियाबाद

§ _____
DEPONENT
 Executive Engineer
 Minor Irrigation Division
 Ghaziabad

Item No.05 & 6

(Court No. 2)

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

(Through Physical Hearing with Hybrid V.C. Option)

Original Application No.418/2021
(I.A. No. 66/2024 and I.A. No. 52/2023)
With
Original Application No. 447/2021

Tilak Raj Adhana & Ors.

...Applicants

Versus

State of Uttar Pradesh

...Respondent

Date of hearing: 08.02.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

Applicants: None for the Applicants.

Respondents: Mr. Gi. Gi. C. George, Advocate for State of U.P.
Mr. Pradeep Misra Advocate for UPPCB (Through VC)
Mr. Vikas Mishra, Regional Officer, UPPCB, Regional
Office, Ghaziabad.
Mr. Vedansh Anand, Advocate for the Ground Water
Department, Uttar Pradesh.
Mr. Hari Om, Executive Engineer, the Ground Water
Department, Uttar Pradesh.
Mr. Ravindra Kumar Senior Advocate with Mr. Saurabh
Rajpal and Mr. Vinay Kr. Singh Advocate for Project
Proponent.

0

Application is registered based on a Letter Petition received by Email.**ORDER**

1. In compliance of order dated 01.11.2023 compliance affidavit has been filed vide email dated 03.02.2024 by Executive Engineer, Minor Irrigation Division, Ghaziabad on behalf of Ground Water Department, Uttar Pradesh. The relevant part of the compliance affidavit is reproduced as under:

“Compliance affidavit on behalf of Respondent No.1 Ground Water Department

TRUE COPY

X

X

X

X

"That in compliance with the orders passed by the National Green Tribunal, New Delhi in O.O.No.40/2021 and O.O.No.447/2021 dated 30.11.2023, the inspection of Modi Sugar Mills (Godi Industries Limited) Modinagar, Ghaziabad was conducted by the Task Force on 08.12.2023. Shri M.C. Tyagi and M.R.Schlesinger were present during the inspection. Currently, there are two NOCs (No Objection Certificates) issued to Modi Sugar Mills for groundwater extraction.

The inspection report of the said two NOCs is as follows:

Borewell number-1

NOC number-REG013999

Validity of NOC-21.07.2023 to 03.01.2025

Quantity of groundwater extraction permitted by NOC-85500

S.No.	Terms and Conditions of NOC	Condition Found During Inspection
1.	<i>Registration of Dhorvel was to be done within 90 days from the date of issue of LOC.</i>	<i>Registration was not done.</i>
2.	<i>Status of new NOC after change in ownership of borewell.</i>	<i>No change in ownership was informed.</i>
3.	<i>Status of changes in the location, design, discharge rate, and pumping device of a borewell without the permission of the competent authority.</i>	<i>During inspection, it was found that the location of the borewell was changed without the prior permission of the competent authority.</i>
4.	<i>Status of compliance with the VISSI standard for recording the rate and volume of groundwater extraction</i>	<i>A digital water flow meter has been installed.</i>
5.	<i>Construction of a piezometer and installation of a digital water level recorder with telemetry device</i>	<i>A piezometer has been constructed. However, its present condition is poor.</i>
6.	<i>Pre-monsoon and post-monsoon groundwater quality report was to be conducted by an MBAL approved lab</i>	<i>The inspection report was not submitted in time.</i>
7.	<i>Status of providing monthly data of telemetry device and digital water level recorder on piezometer to the office</i>	<i>During the inspection, no data from the piezometer was provided.</i>
8.	<i>In case of an institution/firm extracting groundwater in excess of 100 liters per day, two annual water audit reports and impact assessment reports of the person and institution nominated by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry</i>	<i>During the inspection and previously, the annual water audit report and impact assessment report were not submitted.</i>

	(FICCI), Indian Chamber of Commerce (ICCL), National Productivity Council (NPC) and Central Ground Water Authority (CGWA)	
9.	In relation to the establishment of rooftop rain water harvesting	During the inspection, Mr. M.C. Tyagi informed that a consultant has been selected for the establishment of rooftop rainwater harvesting.
10.	Status of establishment of rain water harvesting/recharge system of the specified capacity by the institution/firm.	The firm had adopted ponds in the villages of Amirpur Wadyala, Michri, and Jalalpur Dhidhar, Block-Bhojpur, District Ghaziabad in connection with recharge, but the village head informed by his letter No. 04.03.2023 and 08.08.2023 that no work has been done by the firm on the ponds of the said village.

Borewell number-2

No objection certificate number-REG034026

Validity of no objection certificate from 06.12.2022 to 31.01.2025

Amount of groundwater extraction from no objection certificate-84000

S.No.	Terms and Conditions of NOC	Condition Found During Inspection
1.	Registration of Dhorvel was to be done within 90 days from the date of issue of LOC.	Registration was not done.
2.	Status of new NOC after change in ownership of borewell.	No change in ownership was informed.
3.	Status of changes in the location, design, discharge rate, and pumping device of a borewell without the permission of the competent authority.	No changes were found upon inspection.
4.	Status of compliance with the VISSI standard for recording the rate and volume of groundwater extraction	A digital water flow meter has been installed.
5.	Construction of a piezometer and installation of a digital water level recorder with telemetry device	A piezometer has been constructed.
6.	Pre-monsoon and post-monsoon groundwater quality report was to be conducted by an MBAL approved lab	The inspection report was not submitted in time.

7.	<i>Status of providing monthly data of telemetry device and digital water level recorder on piezometer to the office</i>	<i>During the inspection, no data from the piezometer was provided.</i>
8.	<i>In case of an institution/firm extracting groundwater in excess of 100 liters per day, two annual water audit reports and impact assessment reports of the person and institution nominated by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), Indian Chamber of Commerce (ICCL), National Productivity Council (NPC) and Central Ground Water Authority (CGWA)</i>	<i>Even at the time of inspection, annual water audit report and impact assessment report have not been submitted.</i>
9.	<i>In relation to the establishment of rooftop rain water harvesting</i>	<i>During the inspection, Mr. M.C. Tyagi informed that a consultant has been selected for the establishment of rooftop rainwater harvesting.</i>
10.	<i>Status of establishment of rain water harvesting/recharge system of the specified capacity by the institution/firm.</i>	<i>The firm had adopted ponds in the villages of Amirpur Wadyala, Michri, and Jalalpur Dhidhar, Block-Bhojpur, District Ghaziabad in connection with recharge, but the village head informed by his letter No. 04.03.2023 and 08.08.2023 that no work has been done by the firm on the ponds of the said village.</i>

It is also noteworthy that Modi Sugar Mills was written by the office of the Executive Engineer, Minor Irrigation/Nodal Officer, Ground Water Wave Portal, Ghaziabad, vide letters no. 1206 dated 11.08.2023, letter no. 1963 dated 04.11.2023 and letter no. 2063 dated 20.11.2023, to comply with the conditions mentioned in the no-objection certificates.

However, no action was taken and no response was given.

During the inspection, it was noticed that in addition to the above two borewells, there are two other illegal borewells (near the administrative building and near the technical office) in the premises of Modi Sugar Mills, which have not even been taken N.O.C. by which groundwater extraction is being done."

X

X

X

X"

TRUE COPY

2. Learned Counsel for the Ground Water Department, Uttar Pradesh seeks time to file further report in terms of order dated 01.11.2023.

3. Further report be filed by the Ground Water Department, Uttar Pradesh within three weeks by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

4. In view of the facts and circumstances of the case we consider it appropriate to have the response from the (1) State of Uttar Pradesh through District Magistrate, Meerut, Ghaziabad, (2) Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, Uttar Pradesh (3) Director, Ground Water Department, (4) UPPCB through its Member Secretary, (5) M/s Modi Sugar Mill Modi Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh and (6) M/s Modi Steel Plant, Modi Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh who are impleaded as respondents no. 1 to 6.

5. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties with the application. Respondents no. 3 to 6 are already appearing in the case through their counsel. Notices be issued to respondents no. 1 and 2 requiring them to file their reply/response within three weeks by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

6. Learned Counsel for respondents no. 5 and 6 also seeks time to file additional responses/replies in response to the report filed by the Ground Water Department, Uttar Pradesh and also regarding compliance with consent/NOC conditions.

TRUE COPY

O.A. No. 418/2021

Tilak Raj Adhana & Ors Vs. State of U.P.

-6-

7. Additional reply by respondents no. 5 and 6 be filed within three weeks by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
8. List for further consideration on 15.03.2024.
9. A copy of this order be placed in record of O.A. No. 447/2021 titled as Tilak Raj Adhana and others Vs. State of U.P. and others.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

February, 08th 2024

N

TRUE COPY

कार्यालय जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद।
पत्रांक 2877/ल0सि0/जि0भू0ज0प्र0परि0/2023-24/ दिनांक 07/02/2024

SHRI DS REDDY,
MODI SUGAR MILLS, (MODI INDUSTRIES LIMITED),
MODI NAGAR GHAZIABAD, U.P.
EMAIL- dlsreddy2007@gmail.com
MOB- 7300942144

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-418/2021 एवं ओ0ए0 सं0-447/2021 में पारित आदेश दिनांक 01.11.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, के कार्यालय पत्र सं0 1410/भू0ज0वि0/एस-26(एन0जी0टी0) दिनांक/लखनऊ/नवम्बर 22, 2023 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 418/2021 एवं 447/2021 जो कि Sri Tilak Raj Adhana versus State of Uttar Pradesh मोदी सुगर मिल लिमिटेड, मोदीनगर, गाजियाबाद से सम्बन्धित है। जिसमें पारित आदेश दिनांक 01.11.2023 के क्रम में आपके संस्थान का दिनांक 08.12.2023 को टास्क फोर्स द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्न कमियां पाई गई-बोरवेल सं0-01

1. बोरवेल का पंजीकरण अद्यतन नहीं कराया गया है।
2. निरीक्षण के समय पाया कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना बोरवेल के स्थान में परिवर्तन कर लिया गया है।
3. पीजोमीटर का निर्माण कर लिया गया है। जो वर्तमान में खराब है।
4. प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून ग्राउण्ड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट, एन0ए0बी0एल0 अप्रूव्ड लैब से कराकर, निरीक्षण के समय रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।
5. निरीक्षण के समय पीजोमीटर का कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया है।
6. निरीक्षण के समय वार्षिक वाटर आडिट रिपोर्ट एवं प्रभाव आकलन रिपोर्ट तैयार नहीं कराई गई है।
7. रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना नहीं की गई है।
8. फर्म द्वारा रिचार्ज के सम्बन्ध में ग्राम अमीपुर बडायला, मचरी जलालपुर ढिढार, वि0ख0 भोजपुर जनपद गाजियाबाद में तालाब गोद लिये गये थे, परन्तु ग्राम प्रधान द्वारा अपने पत्र सं0 04.03.2023 व 08.08.2023 के द्वारा उक्त ग्राम के तालाबों पर कोई कार्य नहीं कराया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित उत्तर एक सप्ताह में प्रस्तुत करें। अन्यथा की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र में दी गई शर्तों का अनुपालन न करने के कारण आपके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(इन्द्र विक्रम सिंह),
(आई0ए0एस0)

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गाजियाबाद।

पत्रांक 2877 / ल0सि0 / जि0भू0ज0प्र0परि0 / 2023-24 दिनांकित।
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक / सदस्य सचिव, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, राज्य भूजल सूचना प्रणाली केन्द्र (भूजल भवन), ग्राम हरिहरपुर, निकट दिल्ली पब्लिक स्कूल, शहीद पथ, लखनऊ, 226002।
2. मुख्य विकास अधिकारी, सदस्य सचिव, ग्राउण्ड वाटर पोर्टल, गाजियाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, ल0सि0वि / नोडल अधिकारी, ग्राउण्ड वाटर पोर्टल, गाजियाबाद।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गाजियाबाद।

कार्यालय जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद।
पत्रांक 2878 / ल0सि0 / जि0भू0ज0प्र0परि0 / 2023-24 / दिनांक 07/02/2024

SHRI DS REDDY,
MODI SUGAR MILLS,(MODI INDUSTRIES LIMITED),
MODI NAGAR GHAZIABAD, U.P.
EMAIL- dlsreddy2007@gmail.com
MOB- 7300942144

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-418/2021 एवं ओ0ए0 सं0-447/2021 में पारित आदेश दिनांक 01.11.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, के कार्यालय पत्र सं0 1410/भू0ज0वि0 /एस-26(एन0जी0टी0) दिनांक/लखनऊ/नवम्बर 22, 2023 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 418/2021 एवं 447/2021 जो कि Sri Tilak Raj Adhana versus State of UttarPradesh मोदी सुगर मिल लिमिटेड, मोदीनगर, गाजियाबाद से सम्बन्धित है। जिसमें पारित आदेश दिनांक 01.11.2023 के क्रम में आपके संस्थान का दिनांक 08.12.2023 को टास्क फोर्स द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्न कमियां पाई गई-बोरवेल सं0-02

1. बोरवेल का पंजीकरण अद्यतन नहीं कराया गया है।
2. पीजोमीटर का निर्माण नहीं किया गया है।
3. प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून ग्राउण्ड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट, एन0ए0बी0एल0 अप्रूव्ड लैब से कराकर, निरीक्षण के समय रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. निरीक्षण के समय पीजोमीटर का कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया है।
5. निरीक्षण के समय वार्षिक वाटर आडिट रिपोर्ट एवं प्रभाव आकलन रिपोर्ट तैयार नहीं कराई गई है।
6. रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना नहीं की गई है।
7. फर्म द्वारा रिचार्ज के सम्बन्ध में ग्राम अमीपुर बडायला, मचरी, जलालपुर ढिढार, वि0ख0 भोजपुर जनपद गाजियाबाद में तालाब गोद लिये गये थे, परन्तु ग्राम प्रधान द्वारा अपने पत्र सं0 04.03.2023 व 08.08.2023 के द्वारा उक्त ग्राम के तालाबों पर कोई कार्य नहीं कराया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित उत्तर एक सप्ताह में प्रस्तुत करें। अन्यथा की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र में दी गई शर्तों का अनुपालन न करने के कारण आपके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(इन्द्र विक्रम सिंह),
(आई0ए0एस0)

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गाजियाबाद।

पत्रांक 2878 / ल0सि0 / जि0भू0ज0प्र0परि0 / 2023-24 दिनांकित।
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक/सदस्य सचिव, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, राज्य भूजल सूचना प्रणाली केन्द्र(भूजल भवन), ग्राम हरिहरपुर, निकट दिल्ली पब्लिक स्कूल, शहीद पथ, लखनऊ, 226002।
2. मुख्य विकास अधिकारी, सदस्य सचिव, ग्राउण्ड वाटर पोर्टल, गाजियाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, ल0सि0वि/नोडल अधिकारी, ग्राउण्ड वाटर पोर्टल, गाजियाबाद।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गाजियाबाद।



7955
21/2/24 - 3

Ex. Engg (mi)

3110 mod out

No-2857/500M

CDO/AE (MCA) / hr

To,

District Magistrate/ Chairman, Ghaziabad
District Groundwater Management Council,
Ghaziabad, Uttar Pradesh

C.D.O.

19/02

16th February 2024

Subject: Submission of Compliance report of our Existing Project situated at Modinagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201204.

Ref: Your letter No. 2877/ल०सि०/जि०भू०ज०प्र०परि०/2023-24 dated 7.02.2024 & letter No. 2878/ल०सि०/जि०भू०ज०प्र०परि०/2023-24 dated 7.02.2024

Respected Sir,

Kindly refer to your letter number 2877/ल०सि०/जि०भू०ज०प्र०परि०/2023-24 dated 7.02.2024 & letter number 2878/ल०सि०/जि०भू०ज०प्र०परि०/2023-24 dated 7th February 2024. It is respectfully submitted that we had submitted the Compliance Report along with all the Annexures on 6th February 2024 via Email to the official Email ID of Nodal Officer.

We are hereby submitting the point wise compliance as under

	Query	Reply
1	बोरवेल का पंजीकरण अद्यतन नहीं कराया गया है।	Please find attached Registration Application No. GZBD0224RIN0772 and GZBD0224RIN0773 as Annexure 7.
2	पीजोमीटर का निर्माण नहीं किया गया है।	Please find attached Photograph of Piezometer attached as Annexure 2
3	प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट, एन०ए०बी०एल० अप्रूव्ड लैब से कराकर निरीक्षण के समय रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है।	Please find attached Ground Water Test Report attached as Annexure 3



MODI SUGAR MILLS

(A Unit of Modi Industries Limited)



4	निरीक्षण के समय पीजोमीटर का कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया है।	On observation of the District Council about the condition of the piezometer the unit has Replaced both DWLR . Photographs and Readings of both DWLR are attached as Annexure 2
5	निरीक्षण के समय वार्षिक वाटर ऑडिट रिपोर्ट, एवं प्रभाव आकलन रिपोर्ट तैयार नहीं कराई गयी है।	<p>Industry has reduced its water Requirement and is undergoing a water Audit which is due for submission prior to july.</p> <p>The unit has applied for NOC its two Borewells out of which NOC No. REG034026 was issued on 02/02/2023 whereas NOC No. REG013999 for Second Borewell was released on 17/08/2023</p> <p>As per NOC water Audit has to be carried out and submit after 1 year. Hence will be due in June onwards.</p> <p>In compliance with the direction we have assigned the Accredited Water Auditor and shall submit the report within one month.</p> <p>Please find attached Ground Impact Assessment Report attached as Annexure 6</p>
6	रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना नहीं की गयी है।	<p>The unit is a red category industry hence Rooftop rainwater is stored in tanks and utilized for captive purposes.</p> <p>The unit has also adopted ponds towards compensatory recharge.</p> <p>(Photos attached as Annexure 5)</p>

TRUE COPY

Page 2 of 3



MODI SUGAR MILLS

(A Unit of Modi Industries Limited)



7	<p>फर्म द्वारा रिचार्ज के सम्बन्ध में ग्राम अमीपुर बड़ायला, मचरी, जलालपुर, दिदार, वि०ख०, भोजपुर जनपद, गाज़ियाबाद में तालाब गोद लिये गये थे, परन्तु ग्राम प्रधान द्वारा अपने पत्र सं 04.03.2023 व 08.08.2023 द्वारा उक्त ग्राम के तालाबों पर कोई कार्य नहीं कराया गया है।</p>	<p>The unit has adopted two ponds Pond Ameerpur and Jalalpur towards compensatory recharge. (Photos attached as Annexure 5)</p>
---	--	---

This is submitted for your reference and record and for necessary action.

Thanking You
With Best Regards

For **MODI SUGAR MILLS (MODI INDUSTRIES LIMITED)**


R.P. Singh
 Vice President (Tech.)

TRUE COPY

Page 3 of 3

दिनांक 09.02.2024 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद की बैठक कलेक्ट्रेट, सभागार में आहुत की गयी, जिसमें पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निम्नांकित सदस्यों ने प्रतिभाग किया:-

1. श्री प्रज्ञा श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
2. श्री हरिओम, अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, गाजियाबाद/नोडल अधिकारी, ग्रा0वा0पोर्टल।
3. श्री भारत भूषन, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, गाजियाबाद।
4. श्री विकास यादव, सहायक आयुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, गाजियाबाद।
5. कु0 निधि सिंह, जिला उद्यान अधिकारी, गाजियाबाद।
6. श्री के0 सन्तोष कुमार, सहायक अभियन्ता, उ0प्र0प्र0नि0बो0, गाजियाबाद।
7. श्री रियाज खां, वन दरोगा, वन विभाग, गाजियाबाद।
8. श्री के0पी0 आनन्द, जी0एम0, जल कल, नगर निगम, गाजियाबाद।
9. कु0 आंचल पाण्डेय, ई0ओ0, पतला नगर पंचायत, गाजियाबाद।
10. श्री गजेन्द्र कुमार, अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई, गाजियाबाद।

बिन्दु सं0-01

नोडल अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि नोटीफाइड क्षेत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन हेतु एम0एस0एम0ई0 श्रेणी के 07 एन0ओ0सी0 आवेदन, एम0एस0एम0ई0 श्रेणी के 15 कूप पंजीकरण आवेदन, एवं एन0ओ0सी0 नवीनीकरण श्रेणी के 11 आवेदनों सहित कुल 33 आवेदन हैं। विवरण निम्न प्रकार है-

(अ) कूप पंजीकरण एम0एस0एम0ई0(10 के0एल0 प्रतिदिन से कम एवं पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र का पंजीकरण) आवेदन-

नोडल अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कूप पंजीकरण(10 के0एल0 प्रतिदिन से कम भूजल निष्कर्षण) हेतु 13 आवेदन पोर्टल पर प्राप्त हुये हैं। जिनका सत्यापन टास्क फोर्स द्वारा किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र. सं.	आवेदन संख्या	मात्रा (के. एल.डी.)	आवेदक का नाम	फर्म का विवरण	फर्म का पता	विकास खण्ड/ शहरी क्षेत्र	भू जल उपयोग/ आवेदन का प्रकार	भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद द्वारा लिये गये निर्णय का विवरण।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	GZBD0 124RIN 0754, MSME	90 D/ 30600 Y	BHU PRAKAS H SHARMA	SHARMA SALES	K-52, SEC-D- 1, APPAREL PARK, TRONICA CITY, GZB, U.P.	LONI	Industrial	आवेदन को कूप पंजीकरण निर्गत करने की पात्रता धारित करने एवं पत्रांक 2459 दिनांक 08.02.2024 द्वारा एम0एस0एम0ई0 का सत्यापन प्राप्त हुआ के कारण स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
2	GZBD0 124RIN 0757, MSME	80 D/ 27200 Y	SUREN DER PRASAD	AK INDIA FASHION(O LD NAMESURE NDER PRASAD)	G-133, APPAREL PARK, SECTORE, D-1, TRONICA CITY GZB	LONI	Industrial	आवेदन को कूप पंजीकरण निर्गत करने की पात्रता धारित नहीं करने एवं एम0एस0एम0ई0 सत्यापित न होने के कारण अस्वीकृति पर निर्णय लिया गया।
3	GZBD0 124RIN 0756, MSME	10 D/ 1200 Y	BHOOMI CHAND	POOJA ICE FACTORY	B 80 ROOP NAGAR, INDUSTRIAL AREA LONI, GZB	LONI	Industrial	आवेदन को कूप पंजीकरण निर्गत करने की पात्रता धारित करने एवं पत्रांक 2459 दिनांक 08.02.2024 द्वारा एम0एस0एम0ई0 का सत्यापन प्राप्त होने के कारण स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
4	GZBD0 124RIN 0761, MSME	75 D/ 22500 Y	ARUN THUKRAL	KRISHNA FOODS	PLOT NO. A- 33,34, ROOP NAGAR, IND. AREA, LONI, GZB	LONI	Industrial	आवेदन को कूप पंजीकरण निर्गत करने की पात्रता धारित करने एवं पत्रांक 2459 दिनांक 08.02.2024 द्वारा एम0एस0एम0ई0 का सत्यापन प्राप्त होने के कारण स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

TRUE COPY

5	GZBD0 124RIN 0752, MSME	35 D/ 5250 Y	NARES H GUPTA	DELHI HIMANK PVT. LTD.	B 87, 88, ROOP NAGAR, INDUSTRIA L AREA, LONI, GZB	LONI	Industrial	आवेदन को कूप पंजीकरण करने एवं उपायुक्त उद्योग एम0एस0एम0ई0 का सत्यापन स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
6	GZBD0 224RIN 0768, MSME	33D/ 3300Y	MAHES H KUMAR SINGHA L	AMKO EXPORTS	E 174, KAVI NAGAR INDUSTRIAL AREA	Municipal Corporati on/Nagar Nigam, Ghaziabad	Industrial	आवेदन को कूप पंजीकरण करने की पात्रता धारित करने के पत्रांक 1542 दिनांक 18.10.2023 एम0एस0एम0ई0 का सत्यापन प्राप्त होने के कारण स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
7	GZBD0 224RD 00036, MSME	48 D	ANAND GUPTA	PRATHAM BUILDCON PVT. LTD.	TRONICA CITY, LONI GZB	Municipal Corporati on/Nagar Nigam, Ghaziabad	DOMEST IC	आवेदन में कूप का उद्देश्य घर बनाने का है। परन्तु मौके पर मल्टी स्तरीय बिल्डिंग(फ्लैट) हैं एवं आवेदन में बोरेल का डाय 0.10 एमएम भरा गया है। परन्तु मौके पर 200 एमएम होने के कारण अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया एवं बोरेल बदलकर 2.00 लाख जुर्माना अधिरोपित किया गया।
8	GZBD0 124RIN 0750 MSME	0.15 D/ 46 Y	MOHIT KUNCH AL	CRYSTAL POLISHING MATERIAL INDUSTRIES	E 172, KAVI NAGAR, INDUSTRIA L AREA, GZB	Municipal Corporati on/Nagar Nigam, Ghaziabad	Industrial	भूमि स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज भिन्नता है। लागबुक नहीं होने के कारण अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
9	GZBD0 124RIN 0749 MSME	0.15 D/ 46 Y	GAURA V KUNCH AL	HARI CRYSTAL SHINE PVT. LTD.	E 172, KAVI NAGAR, INDUSTRIA L AREA, GZB	Municipal Corporati on/Nagar Nigam, Ghaziabad	Industrial	भूमि स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज भिन्नता है। लागबुक नहीं होने के कारण अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
10	GZBD1 223RIN 0724 MSME	20 D/ 297 Y	SHASHI KANT JAIN	SHRI ARIHANT LAMINATES	S 19, UPSIDC COMPLEX INDUSTRIA L AREA, LONI, GZB	LONI	Industrial	बोरेल पर वाटर फ्लोमीटर स्थापित नहीं है। लॉग बुक भी नहीं है। ईट नहीं है। आवेदन में बोरेल का डाय 101 एमएम भरा गया है। जबकि पर 125 एमएम डाय होने के कारण अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया एवं बोरेल को सील करते हुये 2.00 लाख जुर्माना अधिरोपित किया गया।
11	GZBD1 223RC 00006 MSME	3 D/ 150 Y	AJAY SINGH	ACE FAB OVERSEAS	28/1/5-26, SITE 4, INDUSTRIA L AREA, SAHIBABAD	Municipal Corporati on/Nagar Nigam, Ghaziabad	COMME RCIAL	बोरेल पर वाटर फ्लोमीटर स्थापित नहीं है। लॉग बुक भी नहीं है। ईट नहीं है। भूमि स्वामित्व से सम्बन्धी दस्तावेज अपूर्ण है। आवेदन गलत श्रेणी में भरा होने के कारण अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
12	GZBD0 224RIN 0767 MSME	9 D/ 2970 Y	AYUSH	SHIVAM COTTAGES PVT LTD.	S 110/1 SITE 2, LONI INDUSTRIA L AREA, MOHAN NAGAR	Municipal Corporati on/Nagar Nigam, Ghaziabad	Industrial	आवेदन को कूप पंजीकरण निर्गत करने एवं उपायुक्त उद्योग के द्वारा एम0एस0एम0ई0 का सत्यापन उपरांत स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
13	GZBD0 124RIN 0748 MSME	0.15 D/ 42 Y	RAJAT GUPTA	AMAY INTERNATI ONAL;	E 172, AMAY INTERNATI ONAL, KAVI NAGAR, INDUSTRIA L AREA, GZB	Municipal Corporati on/Nagar Nigam, Ghaziabad	Industrial	भूमि स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज में भिन्नता है। लागबुक नहीं होने के कारण अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

कूप पंजीकरण के 13 आवेदनों में से 07 आवेदन (क्रमांक 02,07-11,13) को कॉलम 9 में उल्लेखित कमियों के अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। अवशेष 06 आवेदन (क्रमांक 01, 03-06,12) को कूप पंजीकरण करने की पात्रता करने के कारण स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

TRUE COPY

कूप पंजीकरण(पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र का पंजीकरण) आवेदन-
नोडल अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कूप पंजीकरण(पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र का पंजीकरण) हेतु 02 आवेदन पोर्टल पर प्राप्त हुये हैं। जिनका सत्यापन टास्क फोर्स द्वारा किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है-

क. सं.	आवेदन संख्या	मात्रा (के. एल.डी.)	आवेदक का नाम	फर्म का विवरण	फर्म का पता	विकास खण्ड/ शहरी क्षेत्र	भू जल उपयोग/ आवेदन का प्रकार	भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद द्वारा लिये गये निर्णय का विवरण।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	GZBD0124RIN0737	15 D/ 4500 Y	RAMNI WAS YADAV	BALAJI WIRES PRIVATE LIMITED UNIT 2	55 ANAND INDUSTRIAL ESTAES MOHAN NAGAR GHAZIABAD	Municipal Corporation/Nagar Nigam, Ghaziabad	Industrial	आवेदन को कूप पंजीकरण निर्गत करने की पात्रता धारित करने के कारण स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
2	GZBD0124RIN0755	20 D/ 5600 Y	RAMNI WAS YADAV	BANSAL HIGH CARBON PRIVATE LIMITED	120-126 ANAND INDUSTRIAL ESTATES MOHAN NAGAR GHAZIABAD	Municipal Corporation/Nagar Nigam, Ghaziabad	Industrial	आवेदन को कूप पंजीकरण निर्गत करने की पात्रता धारित करने के कारण स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

कूप पंजीकरण के 02 आवेदन (क्रमांक 01-02) को कूप पंजीकरण(पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र का पंजीकरण)करने पात्रता धारित करने के कारण स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(स) अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन आवेदन-

नोडल अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन हेतु 04 एम0एस0एम0ई0 संस्था के 07 आवेदन पोर्टल पर प्राप्त हुये हैं। जिनका सत्यापन टास्क फोर्स द्वारा किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है-

क. सं.	आवेदन संख्या	मात्रा (के.एल. डी.)	आवेदक का नाम	फर्म का विवरण	फर्म का पता	विकास खण्ड/ शहरी क्षेत्र	भू जल उपयोग/ आवेदन का प्रकार	भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद द्वारा लिये गये निर्णय का विवरण।
1	GZBD0124 NIN0639 MSME	14 D/ 5040 Y	SUNIL KUMAR MALIK	VISTA FURNISHING LTD	57/2, SITE 4 SAHIBABD INDUSTRIAL AREA, GHAZIABAD	Municipal Corporation /Nagar Nigam, Ghaziabad	Industrial	आवेदन को एन0ओ0 सी0 निर्गत करने की पात्रता धारित करने एवं उपायुक्त उद्योग के कार्यालय पत्रांक 2459 दिनांक 08.02. 2024 द्वारा एम0एस0एम0ई0 का सत्यापन प्राप्त हुआ एवं सम्बन्धित कम्पनी द्वारा नग निगम से पानी प्राप्त करने का अनुबन्ध क लिया गया है,स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
2	GZBD0124 NIN0638 MSME	8 D/ 2800 Y						
-3	GZBD0224 NIN0640 MSME	60 D/ 19200 Y	SALMAN	PREMINUM STORE PRIVATE LIMITED	B-59, Roop Nagar Industrial Area, Loni, Distt-Ghaz	LONI	Industrial	आवेदन को एन0ओ0 सी0 निर्गत करने की पात्रता धारित करने एवं उपायुक्त उद्योग द्वारा एम0एस0एम0ई0 सत्यापन उपरान्त स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया जायेगा।
4	GZBD0124 NIF0045 MSME	10 D/ 3650Y	VINOD TYAGI	M/s RCG HOSPITALITY	KHASRA NO. 544, VILLAGE- NOORNAGAR, RAJNAGAR EXTEN	Municipal Corporation /Nagar Nigam, Ghaziabad	INFRASTRUCTURAL	आवेदन को एन0ओ0 सी0 निर्गत करने की पात्रता धारित करने एवं उपायुक्त उद्योग द्वारा एम0एस0एम0ई0 लम्बित है। एम0एस0एम0ई0 प्रमाणित/अप्रमाणित होने पर तदनुसार स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा।
5	GZBD0124 NIF0046 MSME	77 D/ 7700Y						

6	GZBD0124 NIF0047 MSME	10 D/ 3500 Y	VIVEK MOHAN GUPTA	TANU SHREE GRAND	KHASRA NO. 829, NH-24, VILLAGE MAHROLI, GHAZIABAD	Municipal Corporation /Nagar Nigam, Ghaziabad	INFRASTR UCTUR AL	आवेदन को एन0ओ0सी0 निर्गत पात्रता धारित करने एवं उपाय द्वारा एम0एस0एम0ई0 लक्षित है। एम0एस0एम0ई0 प्रमाणित / अप्रमाणित पर तदनुसार स्वीकृत / अस्वीकृत किया जायेगा।
7	GZBD0124 NIF0048 MSME	54 D/ 5400 Y						

MSME श्रेणी के एन0ओ0सी0 निर्गमन हेतु प्राप्त 07 आवेदन में से 03 आवेदन (क्रमांक 01-03) को एन0ओ0सी0 निर्गमन करने की पात्रता धारित करने के कारण स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया एवं 04 आवेदन (क्रमांक 04-07) को एम0एस0एम0ई0 प्रमाणित / अप्रमाणित होने पर तदनुसार स्वीकृत / अस्वीकृत किया जायेगा।

(द) अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण आवेदन-

नोडल अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु 11 आवेदन पोर्टल पर प्राप्त हुए हैं। जिनका सत्यापन टास्क फोर्स द्वारा किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र. सं.	आवेदन संख्या	मात्रा (के. एल.डी.)	आवेदक का नाम	फर्म का विवरण	फर्म का पता	विकास खण्ड / शहरी क्षेत्र	भू जल उपयोग / आवेदन का प्रकार	भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद द्वारा लिये गये निर्णय का विवरण।
1	GZBD0124 RIN0753	230 D/ 69120 Y	MOHAMAD V NASIMUDDIN	PURE FOODSTUF F PRIVATE LIMITED	UGF-1, WORLD TRADE CENTRE BABAR ROAD NEW DELHI	RAJAPU R	Industri al	बोरवेल पर डिजिटल वाटर फ्लोमीटर स्थापित नहीं है। बोरवेल चालू नहीं है एवं प्रदूषण का कन्सेन्ट नहीं है। लॉग बुक भी नहीं होने के कारण अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
2	GZBD0124 RIN0762	245 D/ 73440 Y						
3	GZBD0124 RIN0763	230 D/ 69120 Y						
4	GZBD0124 RIN0764	250 D/ 75000Y	RAM BABU DWIVEDI	RATHI STEEL AND POWER LIMITED	P NO. A-3 & C-4, SOUTH SIDE OF G.T. ROAD INDUSTRIAL	Municipal Corporati on/Nagar Nigam, Ghaziabad	Industri al	नॉटीफाइड क्षेत्र के एन0ओ0सी0 आवेदनों को अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य प्राधिकरण / भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 को ऑन लाइन अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया।
5	GZBD0124 RIN0765	100D/ 30000Y						
6	GZBD0124 RIN0766	300 D/ 90000 Y						
7	GZBD0124 RIN0741	306 D/ 110160 Y	THACHAT VISWANAT H NARENDRA N	TATA STEEL LIMITED	PLOT NO. 23, SAHIBABAD INDUSTRIAL AREA, SITE 4, GZB	Municipal Corporati on/Nagar Nigam, Ghaziabad	Industri al	भूमि स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज में भिन्नता होने के कारण अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
8	GZBD0124 RIN0742	306 D/ 110160 Y						
9	GZBD0124 RIN0743	306 D/ 110160 Y						
10	GZBD0124 RIN0744	306 D/ 110160 Y						
11	GZBD0124 RIN0745	306 D/ 110160 Y						

जनपद के नोटीफाइड क्षेत्र से एन0ओ0सी0 नवीनीकरण हेतु प्राप्त 11 आवेदनों में से 03 आवेदन (क्रमांक 04-06) को फर्म को नॉन MSME होने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु ऑन लाइन के माध्यम से राज्य प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ व अग्रसारित करने तथा 08 आवेदन (क्रमांक 01-03, 07-11) पर अंकित आवेदन को कालम 09 में उल्लेखित कमियों के कारण अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

TRUE COPY

शिकायत का जांच आख्या


क्र. सं.	शिकायत का विवरण	टास्क फोर्स की जांच आख्या	भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद में लिये गये निर्णय
	<p>मोदी सुगर मिल की टास्क फोर्स द्वारा किये गये निरीक्षण आख्या</p>	<p>मा10एन0जी0टी0 के निर्देश के क्रम में मोदी सुगर मिल का निरीक्षण टास्क फोर्स द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या निम्न प्रकार है—</p> <p>बोरवेल नं0-1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1-बोरवेल का पंजीकरण अद्यतन नहीं कराया गया है। 2-निरीक्षण के समय पाया कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना बोरवेल के स्थान में परिवर्तन कर लिया गया है। 3-पीजोमीटर का निर्माण कर लिया गया है जो वर्तमान में खराब है। 4-प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून ग्राउण्ड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट, एन0ए0बी0 एल0 अप्रूव्ड लैब से कराकर, निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई है। 5-निरीक्षण के समय पीजोमीटर का कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया है। 6-निरीक्षण के समय वार्षिक वाटर आडिट रिपोर्ट एवं प्रभाव आकलन रिपोर्ट तैयार नहीं कराई गई है। 7-रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना नहीं की गई है। 8-फर्म द्वारा रिचार्ज के सम्बन्ध में ग्राम अमीपुर बडायला, मचरी, जलालपुर डिडार, वि0ख0 भोजपुर जनपद गाजियाबाद में तालाब गोद लिये गये थे, परन्तु ग्राम प्रधान द्वारा अपने पत्र दिनांक 04.03.2023 व 08.08.2023 के द्वारा उक्त ग्राम के तालाबों पर कोई कार्य नहीं कराया गया है। <p>बोरवेल नं0-2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.बोरवेल का पंजीकरण अद्यतन नहीं कराया गया है। 2.पीजोमीटर का निर्माण नहीं किया गया है। 3.प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून ग्राउण्ड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट, एन0ए0बी0एल0 अप्रूव्ड लैब से कराकर, निरीक्षण के समय रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। 4.निरीक्षण के समय पीजोमीटर का कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया है। 5.निरीक्षण के समय वार्षिक वाटर आडिट रिपोर्ट एवं प्रभाव आकलन रिपोर्ट तैयार नहीं कराई गई है। 6.रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना नहीं की गई है। 7.फर्म द्वारा रिचार्ज के सम्बन्ध में ग्राम अमीपुर बडायला, मचरी, जलालपुर डिडार, वि0ख0 भोजपुर जनपद गाजियाबाद में तालाब गोद लिये गये थे, परन्तु ग्राम प्रधान द्वारा अपने पत्र दिनांक 04.03.2023 व 08.08.2023 के द्वारा उक्त ग्राम के तालाबों पर कोई कार्य नहीं कराया गया है। <p>उक्त के अतिरिक्त 02 अवैध बोरवेल कर भूजल निष्कर्षण किया जा रहा है।</p>	<p>भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद में लिये गये निर्णय</p> <p>02 अवैध बोरवेलों को सील्ड करते हुये रू0 5.00 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया है एवं तालाब जीर्णोद्धार कार्य में लागत के बराबर धनराशि की बैंक गारण्टी/एफ0डी0आर0 जमा करायें। यदि फर्म द्वारा उक्त तालाबों पर जीर्णोद्धार कार्य करा दिया जाता है तो बैंक गारण्टी/एफ0डी0आर0 को अवमुक्त कर दिया जायेगा। यदि कार्य नहीं कराया जाता है तो तालाब जीर्णोद्धार कार्य को बैंक गारण्टी/एफ0डी0आर0 में जमा धनराशि से कराया जायेगा एवं अन्य शर्तों को पूरा न करने पर पुनः नोटिस जारी</p>
2	<p>श्री जाने आलम (जानू चौधरी), उपमोक्ष जनघोष पत्रिका संपादक, सी-1104, स्टार रामेश्वरम, राजनगर एक्सटेंशन, शिकायतकर्ता द्वारा प्राप्त शिकायत अनमोल वाटर कम्पनी, ए-269, साउथ साईड, गाजियाबाद</p>	<p>दिनांक 30.01.2024 को टास्क फोर्स द्वारा शिकायत के सम्बन्ध में जांच की गई। जांच के समय अनमोल वाटर कम्पनी, ए-269, साउथ साईड, गाजियाबाद के द्वारा 02 बोरवेलों के द्वारा भूजल दोहन कर वाटर पैकेजिंग का कार्य किया जा रहा है। शिकायत सही पाई गई।</p>	<p>02 बोरवेलों को सील्ड करते हुये रू0 5.00 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया।</p>

3	श्री विक्रम सिंह, मीना, निवासी-आर०जे०ई०, 65, डाबरी एक्सटेंशन नई दिल्ली शिकायतकर्ता द्वारा प्राप्त शिकायत मिराया बैकेट, 28 /1/2 साहिबाबाद, इण्डस्ट्रियल एरिया, साइट 4, गाजियाबाद। जांच सही पाई गई।	दिनांक 27.12.2023 को टास्क फोर्स द्वारा शिकायत के सम्बन्ध में जांच की गई। जांच के दौरान श्री सतपाल सिंह चौधरी, मिराया बैकेट, 28/1/2 साहिबाबाद, इण्डस्ट्रियल एरिया, साइट 4 द्वारा अपने परिसर में बोरवेल कर अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। शिकायत सही पाई गई।	बोरवेल को सील करके हुये रू० 2.00 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
4	दैनिक जागरण अखबार से प्राप्त शिकायत पारस अस्पताल वैशाली से०-4.	दिनांक 27.12.2023 को टास्क फोर्स द्वारा शिकायत के सम्बन्ध में जांच की गई। जांच के दौरान श्री सन्तोष यादव व डा० मनप्रीत उपस्थित थे। पारस अस्पताल वैशाली से०-4 द्वारा बोरवेल कर अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। शिकायत सही पाई गई।	बोरवेल को सील करके हुये रू० 2.00 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
5	श्री अभिशेष पुत्र श्री सुनहरी लाल, विकासनगर द्वारा प्राप्त शिकायत श्री अमित गोस्वामी पुत्र श्री डी०पी०गिरि, एन० 76एच०आई०जी०, से० 23 संजय नगर गाजियाबाद।	दिनांक 27.12.2023 को टास्क फोर्स द्वारा शिकायत के सम्बन्ध में जांच की गई। जांच के समय श्री अमित गोस्वामी पुत्र श्री डी०पी० गिरि, एन० 76 एच०आई०जी०, से० 23 संजय नगर, गाजियाबाद द्वारा पार्क में इण्डिया मार्का-02 हैण्डपम्प रिबोर कराया गया है। जिसका उपयोग सार्वजनिक रूप से पेयजल हेतु किया जा रहा है। शिकायत सही नहीं पाई गई।	शिकायत को निक्षेपित करने के निर्देश दिया गया।
6	श्री जाने आलम (जानू चौधरी), उपभोक्ता जनघोष पत्रिका संपादक, सी-1104, स्टार रामेश्वरम, राजनगर एक्सटेंशन, शिकायतकर्ता द्वारा प्राप्त शिकायत श्री सुनील अवस्थी, अवस्थी ड्रिंकिंग वाटर, उत्तरांचल प्लाजा, वसुंधरा।	दिनांक 23.12.2023 को टास्क फोर्स द्वारा शिकायत के सम्बन्ध में जांच की गई। जांच के दौरान श्री सुनील अवस्थी, अवस्थी ड्रिंकिंग वाटर, दुकान नं० 34, ग्राउण्ड फ्लोर, उत्तरांचल प्लाजा, से० 3, वसुंधरा में बोरवेल कर आर०ओ लगाकर अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। शिकायत सही पाई गई।	बोरवेल को सील करके हुये रू० 2.00 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
7	श्री दिलशाद प्लाट नं० 30, झुक्राबाजार पार्क, विक्रम एन्कलेव, शिकायतकर्ता द्वारा प्राप्त शिकायत श्री सवाब, एक्वा वाटर सप्लायर, मकान नं०-34 विक्रम एन्कलेव, शालीमार गार्डन	दिनांक 23.12.2023 को टास्क फोर्स द्वारा शिकायत के सम्बन्ध में जांच की गई। जांच के दौरान श्री सवाब, एक्वा वाटर सप्लायर, मकान नं०-34 विक्रम एन्कलेव, शालीमार गार्डन द्वारा बोरवेल कर आर०ओ लगाकर अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। शिकायत सही पाई गई।	बोरवेल को सील करके हुये रू० 2.00 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
8	श्री विजय कुमार एवं श्री राकेश आदि, पुराना विजय नगर, गाजियाबाद शिकायतकर्ता द्वारा प्राप्त शिकायत श्री बाबी पुत्र विक्रम सिंह, बाँबी वाटर सप्लायर, फ्लैट नं०-के० 200, से० 9, नियर राम लीला ग्रा०, पुराना विजय नगर, गाजियाबाद। सही पाई गई।	दिनांक 23.12.2023 को टास्क फोर्स द्वारा शिकायत के सम्बन्ध में जांच की गई। जांच के दौरान श्री बाबी पुत्र विक्रम सिंह, बाँबी वाटर सप्लायर, फ्लैट नं०-के० 200, से० 9, नियर राम लीला ग्रा०, पुराना विजय नगर द्वारा बोरवेल कर आर०ओ लगाकर अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। शिकायत सही पाई गई।	बोरवेल को सील करके हुये रू० 2.00 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
9	मे० नजीर हास्पिटैलिटी प्रा० लि०, प्लाट सं० 52, साइट 4, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद।	दिनांक 02.01.2024 को टास्क फोर्स द्वारा शिकायत के सम्बन्ध में जांच की गई। जांच के दौरान मे० नजीर हास्पिटैलिटी प्रा० लि०, प्लाट सं० 52, साइट 4, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद द्वारा बोरवेल कर अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। शिकायत सही पाई गई।	बोरवेल को सील करके हुये रू० 5.00 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
10	श्री जोगिन्द्र सिंह, पार्षद नगर निगम, वार्ड नं० 43 शिकायतकर्ता द्वारा निम्न सर्विस सेन्टर की शिकायत- (1) साहिब आटो सर्विसेज, प्लाट सं०37/2/20, साइट 4, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद।	दिनांक 06.01.2024 को टास्क फोर्स द्वारा शिकायत के सम्बन्ध में जांच की गई। जांच के दौरान साहिब आटो सर्विसेज, प्लाट सं०37/2/20, साइट 4, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद द्वारा 01 बोरवेल कर अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। शिकायत सही पाई गई।	बोरवेल को सील करके हुये रू० 2.00 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया।

(11) मार्बेलिता एम्पोरियो, प्लाट सं० बी 55/2, साइट 4, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद।	दिनांक 02.01.2024 को टास्क फोर्स द्वारा शिकायत के सम्बन्ध में जांच की गई। जांच के दौरान मार्बेलिता एम्पोरियो, प्लाट सं० बी 55/2 साइट 4, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद द्वारा 01 बोरवेल कर अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। शिकायत सही पाई गई।	बोरवेल को सील करके हुये रू० 2.00 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
(12) नेक्सा सर्विसेज(मारुति सुजुकि) प्लाट सं० 58/4, साइट 4, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद।	दिनांक 05.01.2024 को टास्क फोर्स द्वारा शिकायत के सम्बन्ध में जांच की गई। जांच के दौरान नेक्सा सर्विसेज(मारुति सुजुकि), प्लाट सं० 58/4, साइट 4, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद द्वारा 01 बोरवेल कर अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। शिकायत सही पाई गई।	बोरवेल को सील करके हुये रू० 2.00 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
(13) प्राइम होण्डा सर्विसेज, बॉडी एण्ड पेन्ट, प्लाट सं० बी 19, साइट 4, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद।	दिनांक 05.01.2024 को टास्क फोर्स द्वारा शिकायत के सम्बन्ध में जांच की गई। जांच के दौरान प्राइम होण्डा सर्विसेज, बॉडी एण्ड पेन्ट(कैपिटल कारर्स प्रा०लि०), प्लाट सं० बी 19, साइट 4, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद द्वारा 01 बोरवेल कर अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। शिकायत सही पाई गई।	बोरवेल को सील करके हुये रू० 2.00 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
(14) शिवा आटो कार(महिन्द्रा सर्विसेज) प्लाट सं० 3/5, साइट 4, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद।	दिनांक 05.01.2024 को टास्क फोर्स द्वारा शिकायत के सम्बन्ध में जांच की गई। जांच के दौरान शिवा आटो कार(महिन्द्रा सर्विसेज) प्लाट सं० 3/5, साइट 4, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद द्वारा 01 बोरवेल कर अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। शिकायत सही पाई गई।	बोरवेल को सील करके हुये रू० 2.00 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
(15) ऑटो हब(मल्टी ब्राण्ड सर्विस स्टेशन) प्लाट सं० ए 16/1, साइट 4, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद।	दिनांक 05.01.2024 को टास्क फोर्स द्वारा शिकायत के सम्बन्ध में जांच की गई। जांच के दौरान ऑटो हब(मल्टी ब्राण्ड सर्विस स्टेशन) प्लाट सं० ए 16/1, साइट 4, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद द्वारा 01 बोरवेल कर अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। शिकायत सही पाई गई।	बोरवेल को सील करके हुये रू० 2.00 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया।

नोडल अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्देश दिये गये हैं जनपद गाजियाबाद में स्थित समस्त कम्पनियों/फर्मों की सर्वे कराया जाये कि भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा नहीं। उक्त के सम्बन्ध में परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि औद्योगिक क्षेत्रवार अन्य विभागों के अधिकारियों ड्यूटी लगाकर सर्वे को पूर्ण कराया जाये।

अन्त में उक्त के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देते बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।


 जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
 जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
 गाजियाबाद।


कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

पत्रांक 3028/ल०सि०/जि.भू.ज.प्र.प./एन.ओ.सी./2023-24

दिनांक 17/02/2024

प्रतिलिपि:- निम्न की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र०,लखनऊ।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद।
- 3- समस्त सदस्य, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद।


 जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
 जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
 गाजियाबाद।

TRUE COPY

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

Annexure-R-6

पत्रांक 3068 / ल0सि0 / नो0ग्रा0वा0पोर्टल / 2023-24

दिनांक 21/02/2024

SHRI DS REDDY,
MODI SUGAR MILLS (MODI INDUSTRIES LIMITED),
MODINAGAR GHAZIABAD UTTAR PRADESH
EMAIL- dlsreddy2007@gmail.com
MOB- 7300942144

नोटिस

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1468/79-वि-1-19-1(क)-14-19 लखनऊ 07 अगस्त, 2019 के द्वारा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल(प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक-2019 प्रख्यापित होने के पश्चात भूगर्भ जल का दोहन जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् से अनापत्ति प्रमाण पत्र(NOC) प्राप्त करने के उपरान्त किया जाना, लागू किया गया है।

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल(प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक-2019 की धारा 12(1) एवं (2) के अन्तर्गत यदि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ता रजिस्ट्रीकरण के बिना भूगर्भ जल निकालते(दोहन) पाया जाता है, तो यथा स्थिति वह या व्यक्ति समूह या कोई अभिकरण अध्याय -8 के अधीन दण्डित किये जाने के भागी होंगे।

मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशों के क्रम में आपके संस्थान का निरीक्षण टास्क फोर्स द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय आपके संस्थान में एन0ओ0सी0 के अतिरिक्त 02 अवैध बोरवेल चालू पाये गये। जिसके सम्बन्ध में जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् की बैठक दिनांक 09.02.2024 में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये भूजल दोहन किये जाने की स्थिति में आप पर जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

भूगर्भ जल(प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक-2019 के अध्याय-8, 39-(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये, आप पर पाँच लाख रुपये(रू0 5,00,000 /-) जुर्माने की धनराशि अधिरोपित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि यह धनराशि "भूगर्भ जल निधि" के लोक लेखा शीर्ष 8235002000400 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए, साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें अन्यथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

(इन्द्र विक्रम सिंह)

आई.ए.एस.

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गाजियाबाद।

पत्रांक 3068 / ल0सि0 / जि.भू.ज.प्र.प. / एन.ओ.सी. / 2023-24 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्न की सेवा में सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी / सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गाजियाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई / नोडल अधिकारी भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गाजियाबाद।
4. टास्क फोर्स समिति के समस्त सदस्य।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्,
गाजियाबाद।

कार्यालय जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद।

पत्रांक 3066/ल0सिं0/जि0भू0ज0प्र0परि0/2023-24/

दिनांक 21/02/2024

SHRI DS REDDY,
MODI SUGAR MILLS,(MODI INDUSTRIES LIMITED),
MODI NAGAR GHAZIABAD, U.P.
EMAIL- dlsreddy2007@gmail.com
MOB- 7300942144

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-418/2021 एवं ओ0ए0 सं0-447/2021 में पारित आदेश दिनांक 01.11.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, के कार्यालय पत्र सं0 1410/भू0ज0रि /एस-26(एन0जी0टी0) दिनांक/लखनऊ/नवम्बर 22, 2023 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 418/2021 एवं 447/2021 जो कि Sri Tilak Raj Adhana versus State of UttarPradesh मोदी सुगर मिलि लिमिटेड, मोदीनगर, गाजियाबाद से सम्बन्धित है। जिसमें पारित आदेश दिनांक 01.11.2023 के क्रम में आपके संस्थान के दिनांक 08.12.2023 को टास्क फोर्स द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्न कमियां पाई गई-
बोरवेल सं0-01

1. बोरवेल का पंजीकरण अद्यतन नहीं कराया गया है।
2. निरीक्षण के समय पाया कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना बोरवेल के स्थान में परिवर्तन कर लिया गया है।
3. पीजोमीटर का निर्माण कर लिया गया है। जो वर्तमान में खराब है।
4. प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून ग्राउण्ड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट, एन0ए0बी0एल0 अप्रूव्ड लैब से कराकर, निरीक्षण के समय रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।
5. निरीक्षण के समय पीजोमीटर का कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया है।
6. निरीक्षण के समय वार्षिक वाटर आडिट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।
7. रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना नहीं की गई है।
8. फर्म द्वारा रिचार्ज के सम्बन्ध में ग्राम अमीपुर बडायला, मचरी, जलालपुर ढिढार, वि0ख0 भोजपुर जनपद गाजियाबाद : तालाब गोद लिये गये थे, परन्तु ग्राम प्रधान द्वारा अपने पत्र सं0 04.03.2023 व 08.08.2023 के द्वारा उक्त ग्राम के तालाब पर कोई कार्य नहीं कराया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में कार्यालय पत्रांक 2877/ल0सिं0/जि0भू0ज0प्र0परि0/2023-24 दिनांक 07.02.2024 द्वारा आपको पत्र जारी किया गया था। जिसके सम्बन्ध में आपको अपना लिखित उत्तर एक सप्ताह में प्रस्तुत करना था। परन्तु एव सप्ताह बीत जाने के उपरान्त भी आपका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको पुनः पत्र प्रेषित किया जा रहा है। यदि 01 सप्ताह में आपका कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो अन्यथा की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदी गई शर्तों का अनुपालन न करने के कारण आपके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(इन्द्र विक्रम सिंह),

(आई0ए0एस0)

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गाजियाबाद।

पत्रांक 3066 /ल0सिं0/जि0भू0ज0प्र0परि0/2023-24 दिनांकित।
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक/सदस्य सचिव, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, राज्य भूजल सूचना प्रणाली केन्द्र(भूजल भवन), ग्राम हरिहरपुर, निकट दिल्ली पब्लिक स्कूल, शहीद पथ, लखनऊ, 226002।
2. मुख्य विकास अधिकारी, सदस्य सचिव, ग्राउण्ड वाटर पोर्टल, गाजियाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, ल0सिं0वि/नोडल अधिकारी, ग्राउण्ड वाटर पोर्टल, गाजियाबाद।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गाजियाबाद।

TRUE COPY

कार्यालय जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद।

पत्रांक 3067/ल0सिं0/जि0भू0ज0प्र0परि0/2023-24/

दिनांक 21/02/2024

SHRI DS REDDY,
MODI SUGAR MILLS,(MODI INDUSTRIES LIMITED),
MODI NAGAR GHAZIABAD, U.P.
EMAIL- dlsreddy2007@gmail.com
MOB- 7300942144

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-418/2021 एवं ओ0ए0 सं0-447/2021 में पारित आदेश दिनांक 01.11.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, के कार्यालय पत्र सं0 1410/भू0ज0वि0/एस-26(एन0जी0टी0) दिनांक/लखनऊ/नवम्बर 22, 2023 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 418/2021 एवं 447/2021 जो कि Sri Tilak Raj Adhana versus State of UttarPradesh मोदी सुगर मिल लिमिटेड, मोदीनगर, गाजियाबाद से सम्बन्धित है। जिसमें पारित आदेश दिनांक 01.11.2023 के क्रम में आपके संस्थान का दिनांक 08.12.2023 को टास्क फोर्स द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्न कमियां पाई गईं-

बोरवेल सं0-02

1. बोरवेल का पंजीकरण अद्यतन नहीं कराया गया है।
2. पीजोमीटर का निर्माण नहीं किया गया है।
3. प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून ग्राउण्ड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट, एन0ए0बी0एल0 अप्रूव्ड लैब से कराकर, निरीक्षण के समय रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. निरीक्षण के समय पीजोमीटर का कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया है।
5. निरीक्षण के समय वार्षिक वाटर आडिट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।
6. रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना नहीं की गई है।
7. फर्म द्वारा रिचार्ज के सम्बन्ध में ग्राम अमीपुर बडायला, मचरी, जलालपुर ढिढार, वि0ख0 भोजपुर जनपद गाजियाबाद में तालाब गोद लिये गये थे, परन्तु ग्राम प्रधान द्वारा अपने पत्र सं0 04.03.2023 व 08.08.2023 के द्वारा उक्त ग्राम के तालाबों पर कोई कार्य नहीं कराया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में कार्यालय पत्रांक 2878/ल0सिं0/जि0भू0ज0प्र0परि0/2023-24 दिनांक 07.02.2024 द्वारा आपको पत्र जारी किया गया था। जिसके सम्बन्ध में आपको अपना लिखित उत्तर एक सप्ताह में प्रस्तुत करना था। परन्तु एक सप्ताह बीत जाने के उपरान्त भी आपका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको पुनः पत्र प्रेषित किया जा रहा है। यदि 01 सप्ताह में आपका कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो अन्यथा की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र में दी गई शर्तों का अनुपालन न करने के कारण आपके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(इन्द्र विक्रम सिंह),
(आई0ए0एस0)

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गाजियाबाद।

पत्रांक 3067/ल0सिं0/जि0भू0ज0प्र0परि0/2023-24 दिनांकित।
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक/सदस्य सचिव, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, राज्य भूजल सूचना प्रणाली केन्द्र(भूजल भवन), ग्राम हरिहरपुर, निकट दिल्ली पब्लिक स्कूल, शहीद पथ, लखनऊ, 226002।
2. मुख्य विकास अधिकारी, सदस्य सचिव, ग्राउण्ड वाटर पोर्टल, गाजियाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, ल0सिं0वि/नोडल अधिकारी, ग्राउण्ड वाटर पोर्टल, गाजियाबाद।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गाजियाबाद।

निरीक्षण आख्या


जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद गाजियाबाद के अन्तर्गत गठित टास्क फोर्स के द्वारा दिनांक 23.02.2024 को मोदी शुगर मिल्स मे बोरवैल के अनापत्ति प्रमाण पत्रों की शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में निरीक्षण किया गया दोनो अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की निरीक्षण आख्या निम्नानुसार की गई।

बोरवैल संख्या-1

अनापत्ति प्रमाण-पत्र संख्या-REG013999

अनापत्ति प्रमाण-पत्र की वैधता-21.07.2023 से 03.01.2025

अनापत्ति प्रमाण-पत्र से भूजल निष्कर्षण की मात्रा-85500



क्रम सं०	एन०ओ०सी० की नियम एवं शर्तें	निरीक्षण में पाई गई स्थिति
1	एन०ओ०सी० जारी होने की तिथि से 90 दिनों के अन्दर बोरवैल के पंजीकरण कराया जाना था।	पंजीकरण का आवेदन किया गया है
2	बोरवैल के स्वामित्व में परिवर्तन होने पर नवीन एन०ओ०सी० की स्थिति	स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं अवगत कराया गया
3	सक्षम प्राधिकारी के बिना अनुमति के बोरवैल के स्थान, डिजाइन, निकासी की दर और पंपिंग डिवाइस में बदलाव की स्थिति	निरीक्षण के समय पाया कि सक्षम प्राधिकारी की बिना अनुमति के बोरवैल के स्थान में परिवर्तन कर लिया गया है। मोदी शुगर मिल्स प्रबन्धन द्वारा अवगत कराया कि मोडिफिकेशन का आवेदन किया जा रहा है।
4	भूजल निष्कर्षण की दर एवं मात्रा को रिकार्ड करने के लिए डिजिटल वाटर फ्लोमीटर (बी०आई०एस०/आई०एस०) मानक के अनुरूप की स्थिति	डिजिटल वाटर फ्लोमीटर स्थापित/संचालित है।
5	पीजोमीटर का निर्माण और टेलीमैटरी डिवाइस के साथ डिजिटल जल स्तर रिकार्डर की स्थापना	पीजोमीटर स्थापित कर लिया गया है। जो वर्तमान में कार्यरत है

TRUE COPY

<p>प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून गाउड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट एन0ए0बी0एल अप्रूवड लेब से कराकर कराई जानी थी।</p>	<p>कार्यलय मे जमा करा दी गई है</p>
<p>पीजोमीटर पर टेलीमैटरी डिवाइस एवं डिजिटल जल स्तर रिकार्डर का डाटा मासिक आधार पर कार्यालय को उपलब्ध कराने की स्थिति</p>	<p>कार्यलय मे जमा करा दी गई है</p>
<p>100 घन मीटर प्रतिदिन से अधिक भूजल निष्कर्षण करने की स्थिति में संस्था/फर्म द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ(सी0आई0आई0) फैंडरेशन, इंडियन चैम्बर ऑफ कोमर्स इंडस्ट्री (एफ0आई0सी0आई0) नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल (एन0सी0सी0) एवं केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा नामित व्यक्ति एवं संस्था के द्वारा वार्षिक वाटर आडिट रिपोर्ट एवं प्रभाव आकलन रिपोर्ट</p>	<p>प्रभाव आकलन रिपोर्ट जमा करा दी गयी है परन्तु वाटर आडिट रिपोर्ट जमा नहीं कराई गयी है</p>
<p>रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना के सम्बन्ध में</p>	<p>रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना नहीं की गयी है। मोदी शुगर प्रबन्धन द्वारा अवगत कराया कि आर0डब्ल्यू0 एच0 (स्टोरेज टैंक) का निर्माण शीघ्र कर लिया जयेगा।</p>
<p>संस्था/फर्म द्वारा निर्धारित क्षमता की वर्षा जल संचयन/ रिचार्ज प्रणाली की स्थापना की स्थिति</p>	<p>मोदी शुगर मिल्स द्वारा आवेदन के समय तीन ग्रामो जलालपुर डिंडार, मछरी, व अमीपुर बडायला में तालाब गोद लेने तथा जीर्णोद्धार कर वर्षा जल संचयन करने का प्रस्ताव दिया था परन्तु क्रियान्वित नहीं किया गया।</p>

जल संख्या-2

पत्ति प्रमाण-पत्र संख्या-REG034026

पत्ति प्रमाण-पत्र की वैधता-06.12.2022 से 31.01.2025

पत्ति प्रमाण-पत्र से भूजल निष्कर्षण की मात्रा-84000




TRUE COPY

TRUE COPY

क्रम सं०	एन०ओ०सी० की नियम एवं शर्तें	निरीक्षण में पाई गई स्थिति
1	एन०ओ०सी० जारी होने की तिथि से 90 दिनों के अन्दर बोरवेल के पंजीकरण कराया जाना था।	पंजीकरण का आवेदन किया गया है
2	बोरवेल के स्वामित्व में परिवर्तन होने पर नवीन एन०ओ०सी० की स्थिति	स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं अवगत कराया गया
3	सक्षम प्राधिकारी के बिना अनुमति के बोरवेल के स्थान, डिजाइन, निकासी की दर और पंपिंग डिवाइस में बदलाव की स्थिति	निरीक्षण के समय कोई परिवर्तन नहीं पाया गया है
4	भूजल निष्कर्षण की दर एवं मात्रा को रिकार्ड करने के लिए डिजिटल वाटर फ्लोमीटर (बी०आई०एस०/आई०एस०) मानक के अनुरूप की स्थिति	डिजिटल वाटर फ्लोमीटर स्थापित/संचालित है
5	पीजोमीटर का निर्माण और टेलीमैट्री डिवाइस के साथ डिजिटल जल स्तर रिकार्डर की स्थापना	पीजोमीटर स्थापित कर लिया गया है। जो वर्तमान में कार्यरत है
6	प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट एन०ए०बी०एल अप्रूवड लेब से कराकर कराई जानी थी।	कार्यालय में जमा करा दी गई है
7	पीजोमीटर पर टेलीमैट्री डिवाइस एवं डिजिटल जल स्तर रिकार्डर का डाटा मासिक आधार पर कार्यालय को उपलब्ध कराने की स्थिति	कार्यालय में जमा करा दी गई है
8	100 घन मीटर प्रतिदिन से अधिक भूजल निष्कर्षण करने की स्थिति में संस्था/फर्म द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ(सी०आई०आई०) फंडरेशन, इंडियन चैम्बर ऑफ कोमर्स इंडस्ट्री (एफ०आई०सी०आई०) नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल (एन०सी०सी०) एवं केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा नामित व्यक्ति एवं संस्था के द्वारा वार्षिक वाटर आडिट रिपोर्ट एवं प्रभाव आकंलन रिपोर्ट	प्रभाव आकंलन रिपोर्ट जमा करा दी गयी है परन्तु वाटर आडिट रिपोर्ट जमा नहीं कराई गयी है
9	रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना के सम्बन्ध में	रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना नहीं की गयी है। मोदी शुगर मिल्स प्रबन्धन द्वारा अवगत कराया कि आर०डब्ल्यू० एच० (स्टोरेज टैंक) का निर्माण शीघ्र कर लिया जायेगा।
10	संस्था/फर्म द्वारा निर्धारित क्षमता की वर्षा जल संवयन/रिवार्ज प्रणाली की स्थापना की स्थिति	मोदी शुगर मिल्स द्वारा आवेदन के समय तीन ग्रामो जलालपुर डिंडार, मछरी, व अमीपुर बडायला में तालाब गोद लेने तथा जीर्णोद्धार कर वर्षा जल संवयन करने का प्रस्ताव दिया था परन्तु किसानों जहाँ किया गया।

TRUE COPY



जिला भूगर्भ
23.02.2024
अनुपालन
विभागाध्यक्ष
बोरोवै
अन

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद की आयोजित बैठक दिनांक 09.02.2024 में लिये गये निर्णय के परिपालन में दिनांक 23.02.2024 को मोदी शुगर मिल्स के परिसर में दो अन्य अवैध बोरवैल को नामित मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सील्ड किया गया।

निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशारी अभियन्ता,
लघु सिंचाई/नोडल अधिकारी,
गाजियाबाद।

सहायक अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग,
गौतमबुद्धनगर।

अधिशारी अभियन्ता,
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
गाजियाबाद।

उपायुक्त,
जिला उद्योग केन्द्र
गाजियाबाद।

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
गाजियाबाद।

कार्यालय अधिशारी अभियन्ता, लघु सिंचाई/नोडल अधिकारी, गाउड वाटर वेव पोर्टल गाजियाबाद।

पत्रांक 3/55 /ल०सिंच०/ग्रा०वा०पो०/जॉच/2023-24

दिनांक 29/02/2024

प्रतिलिपि:-निम्न की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2-जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद गाजियाबाद।
- 3-मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद गाजियाबाद।
- 4-समस्त टारक फोर्स सदस्य, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद गाजियाबाद।

अधिशारी अभियन्ता,
लघु सिंचाई/नोडल अधिकारी,
गाउड वाटर वेव पोर्टल,
गाजियाबाद।

TRUE COPY

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता(ल०सि०)/नोडल ग्राउण्ड वाटर पोर्टल, गाजियाबाद।

पत्रांक 3114 / ल०सि० / जि०भू०ज०प्र०परि० / 2023-24

दिनांक 24-02-2024

विषय:- अवैध बोरवेल को सील किये जाने के सम्बन्ध में।

(उपशासित भवन के पास)

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद की दिनांक 09.02.2024 की बैठक में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा नामित मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दिनांक 23/2/24 को मोदी सुगर मिल, मोदीनगर, गाजियाबाद, में स्थित अवैध बोरवेल को निम्नलिखित अधिकारियों की उपस्थिति में सील किया गया।

- ① अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी (ए०सी०) 
 - ② राम देव, स्टाफिक उपनिवेश, जल निगम, ग्रामीण 
 - ③ अशोक कुमार गह/पा/पानी/ए BDO Bhojpur 
 - ④ विशाल रणगी, AM, DIC, GZB 
 - ⑤ धुबदेव वर्मा, P.P.O.B. 
 - ⑥ अंकिता राय, एडिडोलाजिस्ट, JP400 
- 23-2-24
राजेश



(इ० हरिओम),
अधिशासी अभियन्ता(ल०सि०),
नोडल अधिकारी, ग्राउण्ड वाटर पोर्टल,
गाजियाबाद।

पत्रांक 3114 / ल०सि० / नो०ग्रा०वा०पोर्टल / 2023-24

दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्न की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद।
3. मोदी सुगर मिल, मोदीनगर, गाजियाबाद।


अधिशासी अभियन्ता(ल०सि०),
नोडल अधिकारी, ग्राउण्ड वाटर पोर्टल,
गाजियाबाद।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता(ल०सि०)/नोडल ग्राउण्ड वाटर पोर्टल, गाजियाबाद।

पत्रांक 3115 / ल०सि० / जि०भू०ज०प्र०परि० / 2023-24

दिनांक 24-02-2024

विषय:- अवैध बोरवेल को सील किये जाने के सम्बन्ध में।

(John Binewald)

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद की दिनांक 09.02.2024 की बैठक में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा नामित मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दिनांक 23/2/24 को मोदी सुगर मिल, मोदीनगर, गाजियाबाद, में स्थित अवैध बोरवेल को निम्नलिखित अधिकारियों की उपस्थिति में सील किया गया।

- ① हारिओम अधिशासी अभियन्ता / नोडल अधिकारी
- ② रामदत्त, सहायक अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण
- ③ अशोक-कुमार (उपनिर्देशक) डी०डी० बरसपुर
- ④ विशाल शर्मा, AM, DIC, GZB
- ⑤ सुबोधन शर्मा (UPPCO)
- ⑥ अस्मिता राय, डी०डी० बरसपुर, UPCCO

23-2-24
27/2/24

(इं० हरिओम),
अधिशासी अभियन्ता(ल०सि०),
नोडल अधिकारी, ग्राउण्ड वाटर पोर्टल,
गाजियाबाद।

पत्रांक 3115 / ल०सि० / नो०ग्रा०वा०पोर्टल / 2023-24

प्रतिलिपि- निम्न की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद।
3. मोदी सुगर मिल, मोदीनगर, गाजियाबाद।


दिनांकित।

अधिशासी अभियन्ता(ल०सि०),
नोडल अधिकारी, ग्राउण्ड वाटर पोर्टल,
गाजियाबाद।



MODI SUGAR MILLS

(A Unit of Modi Industries Limited)



26th February 2024

To,
District Magistrate/ Chairman,
District Groundwater Management Council,
Ghaziabad, Uttar Pradesh

Subject: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०१० सं०-418/2021 एवं ओ०ए०सं०-447/2021 में पारित आदेश दिनांक 01.11.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

Ref: Your letter No. 3066/ल०सि०/जि०भू०ज०प्र०परि०/2023-24 dated 21.02.2024 and letter No. 3067/ल०सि०/जि०भू०ज०प्र०परि०/2023-24 dated 21.02.2024

Respected Sir,

Kindly refer to your letter No. 2878/ल०सि०/जि०भू०ज०प्र०परि०/2023-24 dated 07.02.2024 for which a compliance report has been submitted duly received in your good office on 16.02.2024. In compliance with the condition of Rain water harvesting, the company has partially complied the pond work which was stuck up due to pandemic in 2020 and 2021. We extend our regret for the same and submit our affidavit for implementation for balance compliance in this regard.

We are committed to the maintenance of the adopted ponds and we are in the process of doing the same.

Thanking You

With Best Regards

For **MODI SUGAR MILLS (MODI INDUSTRIES LIMITED)**


(R.P. Singh)

Vice President (Tech.)

Encl:- As above


Copy to:-

1. अधिशासी अभियन्ता, ल०सि०वि०/नोडल अधिकारी, प्राउण्ड वाटर पोर्टल, गाजियाबाद।

सहायक (GWD)

मुख्य पत्र / पत्रावली क.

नियन्त्रण कार्यवाही क.



Modinagar - 201 204 Distt. - Ghaziabad, (U.P.), INDIA

Telephone : 01232 - 242321, 7902108560, 7902108570 E-mail : ceoffice@modisugar.com

CIN-U15429UP1932PLC000469 PAN : AAACM2063Q GSTIN : 09AAACM2063Q4Z1

TRUE COPY





e-Stamp

RAVINDER KUMAR GUP 1/

L.NO.- 30

Acc-UP14084904/MODINAGAR/UP-GZ

Certificate No. : IN-UP76898569678861W
 Certificate issued Date : 26-Feb-2024 10:55 AM
 Certificate Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14084904/ MODINAGAR/ UP-GZB
 Sub-Cert Reference : SUBIN-UPUP1408490449991035288883W
 Issued by : MODI SUGAR MILLS MODI INDUSTRIES LTD
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Document Description : Not Applicable
 Document Price (Rs.) :
 Issued by : MODI SUGAR MILLS MODI INDUSTRIES LTD
 Document Price : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : MODI SUGAR MILLS MODI INDUSTRIES LTD
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)



**BEFORE THE DISTRICT MAGISTRATE/CHAIRMAN
 District Groundwater Management Council,
 Ghaziabad, Uttar Pradesh**

AFFIDAVIT

I Rajendra Pal Singh S/O Sh. Churaman Singh aged about 65 years working as Vice President (Tech.) in Modi Sugar Mills, Modinagar, Uttar Pradesh do hereby Solemnly affirm and declare as under:-

1. That the present affidavit is sworn in by me in my capacity as an Vice President (Tech.) on behalf of M/s. Modi Sugar Mills, Modinagar, Uttar Pradesh vide application submitted for ground water extraction in accordance with UPGWD guideline.
2. That unit will install a Rooftop Rainwater Harvesting System in accordance with the guidelines set out for the Red Category industry.
3. That unit will Maintain/ develop the adopted ponds for issuance of NOC for Ground water withdrawal situated at village Amipur, Machhri and Jalalpur block Bhojpur, District Ghaziabad in compliance of recharge liability set out in the NOC Condition.
4. That the unit will commence the Ground work on or before 10th of March 2024.

Date: 26/02/2024


TRUE COPY

DEPONENT

-2-

VERIFICATION

Verified at Modinagar on this the 26th day of February, 2024 that the contents of the above affidavit are true to the best of my knowledge and belief and that it conceals nothing and that no part of it is false. I understand that if any information furnished by me is found to be false, UPGWD can take punitive action against me.



[Signature]
DEPONENT

ATTESTED

[Signature]
SUDHA RANI

Advocate

Not a public

in No. Tehsil Modinagar
Shazibar

26 FEB 2024

TRUE COPY